

प्रेस-विज्ञप्तिथाना देवगांववांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार**पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-**

दिनांक 04.02.2023 को वादिनी मुकदमा श्रीमती उर्मिला प्रजापति पत्नी नन्दू प्रजापति ग्राम पोस्ट करियागोपालपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तों द्वारा राजस्व विभाग के आदेश व पैमाईश के बावजूद भी विपक्षीयण द्वारा आवेदक की जमीन में ईट, करकट रखना विरोध करने पर आवेदिका उर्मिला प्रजापति उपरोक्त व आवेदिका के लडके जगदिश प्रजापति पुत्र नन्दू प्रजापति को लाठी डण्डा के साथ हमला कर देने तथा लाठी डण्डा, मारने पीटने से जगदिश प्रजापति उपरोक्त को गम्भीर चोटे आने तथा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी देने व मिट्टी का बर्तन, डिजल मशीन को तोड़ देने के सम्बन्ध के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 47/2023 धारा 323/504/506/327/352/427/329/34 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 22.11.2023 को व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र रामकिशोर यादव सा0 करिया गोपालपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को ग्राम करियागोपालपुर से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रेत्तर कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 47/2023 धारा 323/504/506/327/352/427/329/34 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सुनील यादव पुत्र रामकिशोर यादव सा0 करिया गोपालपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़

थाना गम्भीरपुरअवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 22.11.2023 को उ0नि0 अजय कुमार सिंह चौकी प्रभारी गम्भीरपुर मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान खुर्रमपुर तिराहे के पास गम्भीरपुर रोड के पास से एक व्यक्ति गौतम कुमार पुत्र अवधू राम निवासी छाऊं थाना गम्भीरपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर के साथ समय 11.40 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु.अ.स. 375/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

(1) गौतम कुमार पुत्र अवधूराम साकिन छाऊं थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी--

एक अदद 315 बोर तमंचा व 01 अदद 315 बोर जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग

1- मु.अ.स. 375/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-84/2023 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम (थाना बरदह जनपद आजमगढ़)

2. मु0अ0सं0-351/2022 धारा-3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट (थाना बरदह जनपद आजमगढ़)

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.उ.नि. अजय कुमार सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 उत्तम कुमार गौड थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

3.का0 राज करन सोनकर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

गलत नम्बर से पेटीएम चलाने वाले के खाते में गये 50000/- रु0 वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

दिनांक 05.11.2022 को आवेदक राहुल सिंह पुत्र दीपक सिंह निवासी गोडहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ अपने मित्र के मोबाइल नम्बर पर फोन पे के माध्यम से 50,000/- रुपया ट्रांसफर किये लेकिन उस नम्बर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पेटीएम चलाया जा रहा था जिसके वालेट में पैसा ट्रांसफर हो गया। दिनांक 13/11/23 को आवेदक द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी। कम्प्यूटर ऑपरेटर विद्यासागर वर्मा द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल पर आवेदक की शिकायत दर्ज कराया गया था।

रूपया वापसी का विवरण:-

आवेदक राहुल सिंह पुत्र दीपक सिंह निवासी गोडहरा थाना बरदह जनपद आजमगढ के प्रार्थना पत्र की जाँच के क्रम में थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक के कुशल निर्देशन में कम्प्यूटर ऑपरेटर विद्यासागर वर्मा द्वारा पेटीएम से वार्ता कर त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का कुल 50000/- रुपया उसके बैंक खाता में वापस कराया गया।

पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक थाना बरदह जनपद आजमगढ
कम्प्यूटर ऑपरेटर विद्यासागर वर्मा थाना बरदह जनपद आजमगढ
हे0का0 सूर्यबली पटेल थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना- बरदह

अवैध असलहा दिखाकर मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास- दिनांक 21.11.23 को वादी मुकदमा विकास गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवासी कोहरौली थाना बरदह जनपद आजमगढ ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 21.11.2023 को समय करिब 3.30 बजे पर वादी, अभय राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर व रवि राजभर पुत्र रविन्द्र राजभर निवासी कोहरौली थाना बरदह आजमगढ के साथ राजा गंज बाजार में मौजूद थे। वादी ज्यो ही अपने घर के लिये चले की एक मोटर साइकिल पर सवार तीन व्यक्ति व एक व्यक्ति पैदल आकर चारो तरफ से घेर लिये व गाली गुप्ता देते हुए मारपीट किया गया तथा विकास राजभर ने तमन्चा निकालकर जान से मारने की धमकी देने लगा विकास राजभर पुत्र पुलरू निवासी रीवा सुल्तानपुर तथा सनी राजभर पुत्र प्रकाश व पवन राजभर पुत्र रामलाल निवासीगण आरा थाना गौराबादशाहपुर जौनपुर व जै सिंह निवासी रीवा सुल्तानपुर थाना फूलपुर आजमगढ था जब आस पास के लोग आये तो चारो वक्ती मोटरसायकिल से भाग गये कि उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0असं0 488/23 धारा 323/504/506/342 भादवि बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण- दिनांक 22.11.23 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्तो से सम्बन्धित अभियुक्त 1.विकाश राजभर पुत्र पुलरू राजभर सा0 रीवा सुल्तानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ 2.शनि राजभर पुत्र प्रकाश राजभर ग्राम आरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर को राजागंज से फतुही नहर मार्ग पंधारी यादव के पुराने मकान के पास से समय 09.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त विकास उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा अभियुक्त शनि राजभर के कब्जे से एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0- 489/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0असं0 488/23 धारा 323/504/506/342 भादवि थाना बरदह आजमगढ।
2. मु0अ0सं0- 489/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह आजमगढ।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.विकाश राजभर पुत्र पुलरू राजभर सा0 रीवा सुल्तानपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
- 2.शनि राजभर पुत्र प्रकाश राजभर ग्राम आरा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

बरामदगी का विवरण:- अभियुक्त विकास के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा अभियुक्त शनि राजभर उपरोक्त के कब्जे से एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम - 1. उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ

थाना सिधारी

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना.. दिनांक 21.11.2023 को वादिनी मुकदमा उपस्थित थाना आकर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी राजा राजभर पुत्र शिवचन्द्र राजभर निवासी बेलनाडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया एवं शादी करने से मना किया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 457/2023 धारा 376 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़ बनाम राजा राजभर पुत्र शिवचन्द्र राजभर निवासी बेलनाडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 रतन कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 22.11.2023 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह थाना सिधारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजा राजभर पुत्र शिवचन्द्र राजभर निवासी बेलनाडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को बेलनाडीह से समय 11.00 बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- 1- मु0अ0सं0 457/2023 धारा 376 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- 1- राजा राजभर पुत्र शिवचन्द्र राजभर निवासी बेलनाडीह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह सिधारी आजमगढ़

थाना सिधारी

अन्तर्जपदीय 02 चोर गिरफ्तार; चोरी की 03 मोटर साइकिल, अवैध असलहा कारतूस बरामद।

दिनांक- 22.11.2023 को उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह द्वारा खास सूचना पर अभियुक्त 1. अतुल कुमार पुत्र जयराम कुमार निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी जनपद मऊ, 2. जैकी उर्फ मुचुन पुत्र हरिदास निवासी पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को विश्वकर्मा तिराहा से एक मोटर साइकिल व 01 अदद तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के निशादेही सर्फुद्दीनपुर रेलवे लाइन के किनारे झाड़ी से 02 मोटर साइकिल और बरामद किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 458/2023 धारा 379/411/414 भादवि बनाम 1. अतुल कुमार पुत्र जयराम कुमार निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी जनपद मऊ, 2. जैकी उर्फ मुचुन पुत्र हरिदास निवासी पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व मु0अ0सं0 459/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अतुल कुमार पुत्र जयराम कुमार निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी जनपद मऊ पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 धीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा किया जा रहा है। बरामद वाहनों में वाहन संख्या UP50BK1642 थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 455/23 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 458/2023 धारा 379/411/414 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़ बनाम अतुल कुमार व जैकी उर्फ मुचुन

2. मु0अ0सं0 459/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़ बनाम अतुल कुमार

आपराधिक इतिहास

अतुल कुमार पुत्र जयराम कुमार

1. मु0अ0सं0- 109/2023 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना घोषी जनपद मऊ

2. मु0अ0सं0- 458/2023 धारा 379/411/414 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

3. मु0अ0सं0- 459/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़

4. मु0अ0सं0- 455/23 धारा 379/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

जैकी उर्फ मुचुन पुत्र हरिदास

1. मु0अ0सं0 458/2023 धारा 379/411/414 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

2. मु0अ0सं0- 455/23 धारा 379/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अतुल कुमार पुत्र जयराम कुमार निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 20 वर्ष,

2. जैकी उर्फ मुचुन पुत्र हरिदास निवासी पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

बरामदगी –

1. 03 अदद मोटर साइकिल

(I) UP50BK1642 सुपर स्प्लेण्डर चेचिस नं0- MBLJAR039J9G57251,

(II) UP50J8744 स्प्लेण्डर प्लस चेचिस नं0- 03C16C32971, इंजन नं0- 03L15M38573,

(III) UP62K3041 स्प्लेण्डर चेचिस नं0- 04F16F42658,

2. 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- तहबरपुर

चोरी गये विद्युत मोटर (पम्पसेट, मोनोब्लाक) के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

वादी मुकदमा मोहन यादव पुत्र सुन्दर यादव ग्राम पोहीपुर पो0 चन्दाभारी थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर दिनांक 19.11.2023 को सूचना दिया कि वादी मुकदमा का चक ग्राम ददरा थाना तहबरपुर आजमगढ़ मे है। वादी अपने चक मे ट्यूबवेल लगाया है जिसे आज दिनांक 18.11.2023 को शाम करीब 7.30 बजे वादी के ट्यूबवेल का ताला तोडकर मेरे पडोसी गांव ददरा बनगांवा के संदीप, मंदीप पुत्रगण पथरू व एक अन्य मेरे ट्यूबवेल का ताला तोडकर वादी का विद्युत मोटर चोरी कर लिए है। के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2023 धारा 457,380 भादवि बनाम संदीप, मंदीप पुत्रगण पथरू निवासीगण ददरा, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ व एक अन्य नाम पता अज्ञात के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद थाना तहबरपुर, आजमगढ़ द्वारा की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 21.11.2023 उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मंदीप यादव पुत्र पथरू यादव निवासी ग्राम ददरा बनगांवा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को चोरी गये सामान एक अदद विद्युत मोटर (पम्पसेट, मोनोब्लाक) 2.0एचपी के साथ रैसिंगपुर शिव मन्दिर तिराहे से समय 22.15 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1-मु0अ0सं0 226/2023 धारा 457,380 IPC थाना तहबरपुर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 226/2023 धारा 457,380 IPC थाना तहबरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- मंदीप यादव पुत्र पथरू यादव निवासी ग्राम ददरा बनगांवा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी:- एक अदद विद्युत मोटर (पम्पसेट, मोनोब्लाक) 2.0एचपी

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1.उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह थाना तहबरपुर आजमगढ़।

थाना- मुबारकपुर

गैर इरादतन हत्या में बांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 13.11.2023 को वादी मुकदमा सुधीर सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह सा0 ओझौली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना मुबारकपुर पर शिकायत किया कि विपक्षीगण द्वारा दरवाजे पर पटाखा फोड़ रहे थे जिनको मना करने पर लाठी डण्डा से मारे पीटे जिससे वादी मुकदमा की माँ को गम्भीर चोट आयी, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 547/23 धारा-34,323,504,506,452, भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी कि दिनांक 16.11.2023 को दौराने ईलाज वादी मुकदमा की माँ की मृत्यु हो गयी जिसके आधार पर धारा 304 भादवि की बढोत्तरी कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित थी जिसके क्रम मे:-

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 22.11.2023 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र नरसिंह सिंह निवासी ओझौली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम ओझौली से समय 10.50 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 547/23 धारा- 34,323,504,452,506,304 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- सौरभ सिंह पुत्र नरसिंह सिंह निवासी ओझौली थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 सुधीर कुमार व का0 सद्दाम अंसारी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर
चोरी गये बाइक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 21.11.2023 को वादी मुकदमा श्री शाहिद जमाल पुत्र अबुजर सा0 हैदराबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदक की मोटर साईकिल HF डीलक्स हिरो कम्पनी की रंग काला-लाल जिसका रजि0 नं0 UP 50 AW 9066, जो छोटी एजेन्टी मस्जीद के पिछे गली मे प्रतिदिन की तरह खड़ा करके ताला बन्द करके दुकान में चला गया उसके बाद वाहन चोरी हो गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 562/23 धारा- 379 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी कि जिनके द्वारा माल व मुल्जिमान की पतारसी सुराग रसी की जा रही थी कि जिसके क्रम मे:-

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 22.11.2023 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराही पुलिस बल द्वारा मुकदमा अभियोग उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र रामजीत हरिजन निवासी परमानन्दपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को चोरी गये बाइक के साथ समय 13.42 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 562/23 धारा- 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 93/2015 धारा 379 भादवि थाना रोहनिया जनपद वाराणसी

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-सोनू कुमार पुत्र रामजीत हरिजन निवासी परमानन्दपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 सुधीर कुमार व का0 सद्दाम अंसारी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़